

Certified copy of order dated- 09-12-2021

न्यायालय चन्द्र शेखर, भा0प्र0से0, आयुक्त, हिसार मण्डल, हिसार।

कार्यकारी निगरानी नं0-15084 / तकसीम

तिथि दायरा-19-10-2021

तिथि निर्णय-09-12-2021

1-रामफल सिंह पुत्र मेहर चन्द 2-धर्म सिंह पुत्र सरदारा 3-मिया सिंह उर्फ महा सिंह पुत्र सरदारा 4-ओमपति विधवा रामचन्द्र 5-वजीर पुत्र रामचन्द्र 6-नरेश पुत्र रामचन्द्र 7-प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र मेहरचन्द 8-राजपति पत्नी प्रकाश पुत्र मेहरचन्द, सभी निवासीगण गांव जामनी, तहसील सफदों, जिला जीन्द 9-सुनीता पत्नी वीर सिंह, निवासी सफीदों गेट, जीन्द, जिला जीन्द।

.....संशोधनवादीगण

बनाम

1-कमला विधवा सतनारायण 2-रामदत्त पुत्र सतनारायण 3-रामजुआरी पुत्र सतनारायण 4-दिलबाग पुत्र फतेह सिंह पुत्र भोलाराम 5-राजबाला पत्नी विकास पुत्र \*दलीप सिंह 6-किस्मती देवी पत्नी राजेश पुत्र भूप सिंह, सभी निवासीगण गांव जामनी, तहसील सफदों, जिला जीन्द 7- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन प्रथम, संसद मार्ग, नई दिल्ली 11001.

.....प्रत्यार्थीगण

उपस्थिति: 1-श्री विक्रम सिंह, विद्वान अधिवक्ता, संशोधनवादीगण की ओर से।

2-श्री आर0एस0 मलिक, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यार्थी नं0 1 व 3 की ओर से।

अंतर्गत : धारा 13, पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887

आदेश

सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी, पिल्लुखेडा के आदेश दिनांक 21-01-2020, जिसमें अराजी जरई, खेवट नं0 272, खाता नं0 383, रकबा 124 कनाल 9 मरले, गांव जामनी, उपतहसील पिल्लुखेडा बरूवे जमाबन्दी वर्ष 2011-12 की सनद तकसीम जारी की गई, से क्षुब्ध होकर संशोधनवादीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में दायर की है।

ATTESTED

*@gades*  
Examiner



2-

इस केस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि संशोधनवादी नं० 1, 7 व 8 ने सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी, पिल्लुखेड़ा के न्यायालय में दिनांक 19-05-2017 को उक्त भूमि की तकसीम बारे दरखास्त प्रस्तुत की। सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी ने अन्य औपचारिकताएं निपटाते हुए दिनांक 20-10-2017 को तरीका तकसीम मंजूर किया। दिनांक 13-11-2017 को नक्शा "ख" प्राप्त हुआ। दिनांक 29-11-2017 को दोनों पक्षों ने नक्शा "ख" पर आपत्ति दर्ज करवाई। दोनों पक्षों के एतराज को मध्यनजर रखते हुए तरमीमी नक्शा "ख" मंगवाया तथा दिनांक 18-02-2019 को तरमीमी नक्शा "ख" पर एतराज मांगे गए। दिनांक 31-10-2019 तक दोनों पक्षों द्वारा तरमीमी नक्शा "ख" पर एतराज ना देने के कारण तरमीमी नक्शा "ख" मंजूर कर लिया, जिसके अनुसार दिनांक 21-01-2020 को सनद तकसीम जारी कर दी गई। इसी तकसीम की सम्पूर्ण कार्यवाही के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दायर की गई है।

3-

कौंसल संशोधनवादीगण ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें वर्णन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गैर-कानूनी व तथ्यों से परे है, जो अपास्त करने योग्य है। सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी, पिल्लुखेड़ा ने प्राकृतिक न्याय की अवहेलना की है। विवादित भूमि की सनद तकसीम दिनांक 21-01-2020 को जारी हो चुकी थी, लेकिन विवादित भूमि का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था, इसलिए यह सनद तकसीम महत्वहीन हो गई, क्योंकि सनद तकसीम में शर्त रखी गई थी कि कब्जा कार्यवाही खरीफ फसल के बाद होगी। अब जो भूमि अधिग्रहित की गई है, उसे विभाजन से बाहर किया जाना है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पक्ष बनाकर, भूमि का बंटवारा, नए सिरे से किया जाना होगा।

4-

कौंसल संशोधनवादीगण ने आगे वर्णन किया है कि संशोधनवादीगण के नक्शा "ख" पर कोई एतराज ना लिए गए और बिना एतराज ही नक्शा "ख" मंजूर कर लिया। जो भूमि नक्शा "ख" में दी गई थी, वह भूमि तरमीमी नक्शा "ख" में नहीं

ATTESTED  
Examiner



दी गई। इस प्रकार सभी खसरा न० बदल दिए गए। संशोधनवादी न० 9 की समन पर तामिल बारे रिपोर्ट प्राप्त हुई कि दिए गए पत्ते पर नहीं रहती, लेकिन इसके बावजूद भी सही पत्ता ना लेकर तलबी की कार्यवाही ना की गई। जो भूमि अधिग्रहित की गई है वह भूमि प्रत्यार्थीगण को फायदा पहुंचाने की नियत से, उनके हिरस्से में लगा दी गई। इस प्रकार यह तरीका तकसीम के उल्लंघन को दर्शाता है। यदि तरीका तकसीम का उल्लंघन होता है तो पूरी तकसीम की कार्यवाही को अपास्त किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनिय है कि संशोधनवादी न० 7 का ट्यूबवैल खसरा न० 47//17/2 में स्थित था, लेकिन अब वह रकबा खसरा न० 47//24/2 में स्थापित कर दिया गया। इसी प्रकार संशोधनवादी न० 4 के कब्जे को भी तोड़ा गया है। संशोधनवादी न० 1 व 7 का हिस्सा 2 कनाल 8 मरले बनता है, उनका कब्जा भी तोड़ दिया गया है। संशोधनवादी न० 2 व 3 के तरीका तकसीम में अलग-2 टक रखे गए थे, लेकिन इन्हें एक ही टक में लगाकर, कोई रास्ता व खाल ना दिया गया। इस प्रकार विभाजन की सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण के बाद रास्ता व खाल भी प्रभावित हुए हैं। इसलिए अधिग्रहित की गई भूमि को निकाल कर शेष भूमि का विभाजन होना चाहिए।

5— कौंसल संशोधनवादीगण ने अपनी लिखित बहस में यह भी वर्णन किया है कि प्रत्यार्थीगण ने संशोधनवादीगण को भरोसे में लेकर अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके नक्शा "ख" में दिए गए सभी खसरा न० को तरमीमी नक्शा "ख" में बदलवा दिए जो संशोधनवादीगण को आबंटित किए गए थे। इस प्रकार तकसीम की सम्पूर्ण कार्यवाही में त्रुटियां हैं। अतः सम्मानपूर्वक प्रार्थना है कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21-01-2020 को पंजाब भू-राजस्व अधिनियम की धारा 115 के तहत अपास्त करते हुए अधिग्रहित की गई भूमि को अलग करके, शेष भूमि को पुनः तकसीम की जावे।

ATTESTED  
By  
Registrar



6- कौंसल प्रत्यार्थी न0 1 व 3 ने भी अपना लिखित जवाबदावा प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21-01-2020 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना है। संशोधनवादीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में लगभग 1 वर्ष 10 महीने देरी से दायर की है। सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी के आदेश दिनांक 21-01-2020 के विरुद्ध संशोधनवादीगण ने एक निगरानी वित्तायुक्त महोदय के न्यायालय में मार्च 2020 में दायर की थी। गलत तथ्यों को पेश करके वित्तायुक्त महोदय के न्यायालय से, अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के क्रियान्वयन पर बन्दी आदेश लेकर, दिनांक 30-09-2021 को अपनी निगरानी वापिस ले ली। जबकि कौंसल संशोधनवादीगण को इस तथ्य की जानकारी थी कि पंजाब लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1887 के सैक्शन 16 में संशोधन होने पर वित्तायुक्त महोदय की शक्तियां, नोटिफिकेशन दिनांक 10-04-2017 द्वारा मण्डलायुक्त को स्थानान्तरित हो चुकी है। संशोधनवादीगण ने स्वयं ही इन शक्तियों की जानकारी, वित्तायुक्त महोदय के संज्ञान में लाकर निगरानी वापिस ले ली थी। इस संशोधन की जानकारी होने उपरान्त भी वित्तायुक्त महोदय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0पी0 न0 20942 वर्ष 2021 दायर की, जो दिनांक 12-10-2021 को माननीय न्यायालय से वापिस ले ली गई। इस प्रकार जानबूझकर मामले को विभिन्न न्यायालयों में लटकाना, देरी की माफी का आधार नहीं बनाया जा सकता।

Cat

7- कौंसल प्रत्यार्थीगण ने आगे वर्णन किया है कि विवादित भूमि का बंटवारा सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी द्वारा दिनांक 21-01-2020 को घोषित किया गया है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना दिनांक 19-02-2020 को जारी की गई है। सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी के आदेश दिनांक 21-01-2020 की पालना में आदेश का इन्द्राज पटवारी रोजनामचा में भी दर्ज हो चुका है तथा सनद तकसीम अनुसार कब्जा कार्यवाही भी हो चुकी है। कब्जा कार्यवाही के बाद इन्तकाल भी दर्ज हो चुका है और इन्तकाल के बाद अधिग्रहण की भूमि का मुआवजा भी एल0ए0सी0 के खाते में जमा हो चुका है। इस समय तकसीम की

ATTESTED  
[Signature]  
[Stamp]



कार्यवाही को निरस्त करने का कोई औचित्य ना है। नक्शा "ख" पर दोनों पक्षों के एतराज लेकर तरमीमी नक्शा "ख" मंगवाया गया था। तकसीम की कार्यवाही के दौरान भी संशोधनवादीगण को तरमीमी नक्शा "ख" पर एतराज के लिए लगभग 9 महीने में 8 अवसर प्रदान किए गए हैं, तब भी कोई एतराज पेश ना किए। सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी ने दोनों पक्षों द्वारा कोई एतराज ना देने के कारण तरमीमी नक्शा "ख" मंजूर किया है। इस प्रकार बंटवारा की कार्यवाही में किसी भी स्तर पर संशोधनवादीगण को कोई एतराज ना रहा है। संशोधनवादीगण का कहना है कि संशोधनवादी न0 9 की गलत पते की रिपोर्ट आने पर भी सही पते पर तामिल नहीं करवाई जबकि संशोधनवादीगण ने स्वयं यह पता तकसीम की दरखास्त में दिया है। इनका स्वयं भी दायित्व बनता था कि न्यायालय में सही पता देकर तामिल करवाए। यह तथ्य भी गलत है कि संशोधनवादी न0 7 का ट्यूबवैल वाले खसरा का कब्जा तोड़ा गया है, बल्कि सनद तकसीम अनुसार खसरा न0 47//24/2 व 47//17/2 दोनों ही खसरा, संशोधनवादी न0 7 के हिस्सा में लगाए गए हैं। इसके इलावा यह तथ्य भी गलत है कि संशोधनवादी न0 2 व 3 के, तरीका तकसीम में अलग-2 टक बनाए जाने का प्रावधान था, जबकि तरीका तकसीम के मद न0 5 के अनुसार संशोधनवादी न0 2 व 3 का एक ही टक बनाया जाना था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण से पहले दो मुख्य समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया था कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। परन्तु संशोधनवादीगण ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई।

8- कौंसल प्रत्यार्थीगण ने अपने जवाबदावा में यह भी वर्णन किया है कि संशोधनवादीगण का एक मात्र उद्देश्य इस मामले को लटकाए रखना है, क्योंकि प्रत्यार्थी न0 3 रामजुआरी की 2 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मुआवजा के रूप में मु0 1 करोड़ 16 लाख रू0 राशि, एल0ए0सी0, जीन्द के खाते में जमा करवा दी है। यह राशि आज तक इस मुकदमे के कारण



ATTESTED  
Examiner



रामजुआरी को जारी ना हो सकी। सम्बन्धित भूमि का कब्जा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ले लिया गया है। अब प्रत्यार्थी न0 3 के पास आय का कोई समुचित साधन ना है यानिकि आज वह सड़क पर है। संशोधनवादीगण द्वारा दायर की गई निगरानी बिना किसी कानून, साक्ष्य तथा तथ्यों के विहिन है। इस तकसीम की सम्पूर्ण कार्यवाही पर संशोधनवादीगण को कभी कोई एतराज ना था। तकसीम की कार्यवाही पूर्ण होने उपरान्त राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जमीन अधिग्रहण करने के बाद धन के लालच में यह द्वेष पूर्ण कार्यवाही की जा रही है। आज भी प्रत्यार्थीगण को डरा धमाकर, मुआवजे की राशि को बांटकर, पुनः तकसीम की कार्यवाही करने का दबाव बनाया जा रहा है। अन्त में 2007(1) एल0ए0आर0 548 व माननीय उच्च न्यायालय तेलंगाना के आदेश दिनांक 01-11-2018, डब्ल्यू0पी0 न0 9405 वर्ष 2018 में दी गई न्यायिक व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए प्रार्थना की है कि संशोधनवादीगण की निगरानी खारिज की जावे।

9- इस केस में दिनांक 30-11-2021 को दोनों पक्षों की बहस सुनने उपरान्त, आदेश आरक्षित रखा गया था। अब इस केस का निर्णय, इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

10- मेरे द्वारा पत्रावली पर आए तथ्यों, अभिलेखों व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दी गई लिखित बहस व जवाबदावा में दिए गए तर्कों का विश्लेषण भी किया गया।

11- अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अवलोकन से पाया कि संशोधनवादीगण द्वारा सिर्फ नक्शा "ख" पर एतराज दिए गए है, जिसे सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी द्वारा मन्जूर करके, तरमीमी नक्शा "ख" मंगवाया गया है। तरमीमी नक्शा "ख" पर भी एतराज के लिए काफी मौके दिए गए हैं। परन्तु संशोधनवादीगण द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत ना किए गए।

ATTESTED

*[Signature]*  
M. K. S. S. S.



सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी ने सनद तकसीम दिनांक 21-01-2020 को जारी की है तथा दिनांक 28-01-2020 को कब्जा कार्यवाही भी हो चुकी है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 19-02-2020 को जारी की गई है। इस प्रकार तकसीम की सम्पूर्ण कार्यवाही होने उपरान्त, भूमि अधिग्रहण की नोटिफिकेशन जारी की गई है। अब इस स्तर पर इस तकसीम में किसी प्रकार का परिवर्तन, न्यायोचित ना होगा।

12- अतः उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत संशोधनवादीगण की निगरानी में कोई बल न पाए जाने के कारण खारिज की जाती है। इस न्यायालय के फैसले की सत्यापित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस भेजा जावे। मिसल बाद तरतीब व तकमील दाखिल अभिलेखालय होवे।

सभी सम्बन्धित को सूचित किया जावे।

दिनांक:- 09-12-2021

*Comptroller*  
आयुक्त, हिसार मण्डल  
हिसार

टिप्पणी:- यह आदेश कुल सात पृष्ठों में है तथा सभी पृष्ठ मेरे द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

*Comptroller*  
आयुक्त, हिसार मण्डल  
हिसार

Certified to be True Copy  
Authorised U/S 76 of the  
Indian Evidence Act 1872.

*Qyda*  
[Signature]

क) नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 20/12/2021  
ख) सी.डी.डी.-2 रजिस्टर में प्रार्थना पत्र नम्बर 12/8  
ग) कामजों की संख्या 7P  
घ) प्रार्थना पत्र नम्बर 1/1-  
ङ) नकल की संख्या 7X2-21  
च) जलसंधि की संख्या 5/1-  
छ) नकल नवीन के हस्ताक्षर [Signature]  
ज) नकल तैयार करने की तिथि 20/12/2021  
झ) नकल देने की तिथि 20/12/2021

*[Signature]*  
Deputy Supdt.  
For Commissioner, Hissar Division  
*Qyda*  
20/12/2021